उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

पृष्ठाकन क्रमांक B/2793/ जबलपुर, दिनांक 31/07/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ, इंदौर, इंदौर(म.प्र.),
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर ग्वालियर(म.प्र.),
3. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश .....समस्त,
5. पीठासीन अधिकारी, परिवार न्यायालय.....समस्त,(म.प्र.),
6. मेम्बर सेक्रेण्ट्री मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
7. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. ओ.एस.डी.....(समस्त),उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार(प्रशा.) /न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई/ई./ आई.एल./कम–.पी.पी.एस. /इंस्पेक्शन एण्ड विजीलेंस/परीक्षा एवं लेबर जूडी./सतर्कता, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. एस.पी.एस.ए (आई.टी.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. ~~चीफ~~ सिस्टम एनालिस्ट., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
12. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. डिप्टी रजिस्ट्रार..... (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. असिस्टेंट रजिस्ट्रार.....समस्त, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
16. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
17. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर /इंचार्ज.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
18. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
19. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/(आई.एल.आर. एवं परीक्षा), महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
20. रिफरेन्स लाइबेरियन, उच्च न्यायायल मध्यप्रदेश, जबलपुर
21. ग्रंथपाल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
22. सहायक संपादक (आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
23. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/लेखा/वेतन पत्रक (राजपत्रित)/अवकाश (राजपत्रित) /अवकाश/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण/बजट/पेंशन/सी.पी.एफ, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संलग्न :–भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 17.03.2020

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi-110001

No. A-19/G-A/143

Dated: 17.03.2020

To

1. The Secretary to the President of India, New Delhi
2. The Principal Secretary to the Prime Minister of India, New Delhi
3. The Cabinet Secretary to the Government of India, New Delhi
4. The Secretaries of all Ministries and Departments of the Govt. of India, New Delhi
5. The Registrar, Supreme Court of India, New Delhi
6. The Registrar of all High Courts
7. The Secretary, Central Vigilance Commission, New Delhi
8. The Secretary General, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi
9. The Secretary General, Lok Sabha Secretariat, New Delhi
10. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi

Sub: Appointment of Justice (Retd.) Ranjana Prakash Desai as Chairperson, Delimitation Commission-reg.

Sir,

I am directed to refer to the Ministry of Law & Justice (Legislative Department) Notification No. S.O. 1015(E) [F. No. H-11019/3/2019-Leg.II] dated 06th March, 2020 (copy enclosed), on the subject cited and to state that Justice (Retd.) Ranjana Prakash Desai has assumed the charge of the office of the Chairperson, Delimitation Commission on 13.03.2020 (F/N).

All correspondence requiring her personal attention may kindly be addressed to her by name.

Yours faithfully,

(STANDHOPE YUHLUNG)
SENIOR PRINCIPAL SECRETARY

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
1 JUL 2020
Reg No. 532
Receipt Clerk
High Court

रजि. डी.एल.- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032020-216583
CG-DL-E-06032020-216583

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 911] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2020/फाल्गुन 16, 1941
No. 911] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2020/PHALGUNA 16, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2020

का.आ. 1015(अ).—केंद्रीय सरकार, परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड राज्यों में विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले परिसीमन आयोग का गठन करती है, अर्थात् :—

(i) न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई	— अध्यक्ष
(ii) श्री सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त	— सदस्य (पदेन)
(iii) संविधान के, यथास्थिति, अनुच्छेद 243ट के खंड (1) या अनुच्छेद 243ठ के खंड (1) के अधीन नियुक्त संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के राज्य निर्वाचन आयुक्त	— सदस्य (पदेन)

2. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की नियुक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, के लिए होगी।

3. उक्त परिसीमन आयोग,—

(i) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) के भाग 5 के उपबंधों और परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अनुसार जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों का ;

(ii) असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अनुसार, परिसीमन करेगा ।

[फा. सं. एच-11019/3/2019-वि.II]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2020

S.O. 1015(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), the Central Government hereby constitutes the Delimitation Commission for the purpose of delimitation of Assembly and Parliamentary constituencies in the Union territory of Jammu and Kashmir and the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, consisting of the following members, namely:—

(i)	Justice (Retd.) Ranjana Prakash Desai	- Chairperson
(ii)	Shri Sushil Chandra, Election Commissioner	- Member, *(ex officio)*
(iii)	The State Election Commissioner of the concerned State or Union Territory appointed under clause (1) of article 243K or under clause (1) of article 243L of the Constitution, as the case may be.	- Member, *(ex officio)*

2. The appointment of Justice (Retd.) Ranjana Prakash Desai shall be for a period of one year from the date of the publication of this notification in the Official Gazette or till further orders, whichever is earlier.

3. The said Delimitation Commission shall delimit the constituencies, —

(i) of the Union territory of Jammu and Kashmir in accordance with the provisions of part V of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) and the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002);

(ii) of the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland in accordance with the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002).

[F. No. H-11019/3/2019-Leg.II]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA